www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

# रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खण्ड 38 अंक 8 पृष्ठ 64 | नई दिल्ली 25-31 मई 2013 | ₹ 8.00

*कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र (केकेएनपीपी) को चालू किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गयी याचिका खारिज किए जाने से इस परियोजना के कार्यान्वयन में लगे लोगों का पक्ष मजबूत हुआ है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि संयंत्र चालू हो जाने पर उसके रेडियोधर्मी प्रभाव दूरगामी होंगे.* ***इस परियोजना के साइट डायरेक्टर आर एस सुन्दर ने अनुराग मिश्रा, मुख्य संपादक*** *(रोज़गार समाचार) के साथ एक साक्षात्कार में परियोजना की सुरक्षा और भावी योजनाओं के बारे में खुलासा किया.,*

**प्रश्न: उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र के रेडियो धर्मी प्रभाव दूरगामी होंगे. आप इस निर्णय को उन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जो इस परियोजना को चालू करने में लगे हुए हैं?**

**परियोजना स्थल निदेशक (पीएसडी):** भारतीय परमाणु बिजली निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र के प्रचालन से पर्यावरण और लोगों पर किसी प्रकार के विकिरण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा. एनपीसीआईएल देश भर में 20 अन्य रिएक्टरों का भी प्रचालन कर रहा है और विकिरण संरक्षण एवं सुरक्षा के उपाय करने में निगम का शानदार रिकार्ड रहा है. इस कार्य में निगम अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मिता संरक्षण परिषद (आईसीआरपी) द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करता है.

**प्रश्न: उच्चतम न्यायालय द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद क्या आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं कि सुरक्षा और पारिस्थितिकी विषयक पहलुओं का ध्यान किस प्रकार रखा जा रहा है?**

**पीएसडी:** परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा और पारिस्थितिकी विषयक पहलुओं का ध्यान प्रारंभ से ही रखा जाता है. तत्संबंधी उपाय संयंत्र के डिजाइन में निहित हैं और उनका कार्यान्वयन संयंत्र के निर्माण, उसे चालू किए जाने और उसके प्रचालन चरणों में किया जाता है.

**प्रश्न: कृपया बताएं समुद्र, पारिस्थितिकी, कृषि, मवेशी, खाद्य, वनस्पति एवं वन्य जीवों, जैव मंडल आदि पर इस संयंत्र के प्रभाव को आप किस रूप में देखते हैं?**

**पीएसडी:** विभिन्न समितियों और विशेषज्ञ निकायों द्वारा इन विषयों पर विस्तृत अध्ययन किए गए हैं. मैसर्स एनईईआरआई और मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य उद्योग अनुसंधान संस्थान जैसे संगठनों ने कुडनकुलम साइट पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संबंधी अध्ययन किए हैं.

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने केकेएनपीपी के निकट अणुविजय टाउनशिप में पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशाला (ईएसएल) की स्थापना की है ताकि मछलियों, जल और वायु संबंधी बुनियादी आंकड़े एकत्र किए जा सकें. ईएसएल द्वारा आंकड़े एकत्र करने का कार्य संयंत्र के प्रचालन के दौरान भी जारी रहेगा और परमाणु बिजली संयंत्र के प्रचालन के प्रभाव पर लगातार निगरानी रखी जाएगी. इसी तरह की सुविधाएं सभी मौजूदा परमाणु बिजली संयंत्र स्थलों पर विद्यमान हैं. अध्ययन के दौरान विस्तृत पैमाने पर आंकड़े एकत्र किए गए और यह पाया गया कि एकत्र किए गए विभिन्न नमूनों में विकिरण के स्तर में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी नहीं हुई. केकेएनपीपी में भी समान पद्धति अपनाई जाएगी. तिरूनेलवेलि मेडिकल कॉलेज ने केकेएनपीपी के पांच किलोमीटर के दायरे में महामारी विषयक सर्वेक्षण कराया है और उसने अपनी रिपोर्ट संयंत्र शुरू होने के प्रारंभिक चरण में ही दे दी है. कुछ समय पहले से परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा परमाणु विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस) के सहयोग से पर्यावरणीय अध्ययन किए जा रहे हैं और विभिन्न शैक्षिक संस्थान और विश्वविद्यालय तत्संबंधी विश्लेषण में भाग ले रहे हैं. बिजली संयंत्र को चालू करने से पहले बुनियादी आंकड़े प्राप्त करने के लिए इसके 30 किलोमीटर के दायरे में महामारी विषयक सर्वेक्षण भी किया गया है.

**प्रश्न: क्या उच्चतम न्यायालय ने पहले से मौजूद दिशा निर्देशों के अलावा कोई विशेष सुझाव दिया है?**

**पीएसडी:** माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं दिए हैं किंतु नियामक और निगरानीकर्ता एजेंसियों की भूमिका पर पुनः बल दिया है. न्यायालय ने खाली किए गए परमाणु ईंधन भंडारों के बारे में दिशा निर्देश भी दिए हैं.

**प्रश्न: उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से फैसला दिए जाने के बाद भी ग्रामीणों सहित इस परियोजना के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं. अब उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा?**

**पीएसडी:** प्रेस और मीडिया के जरिए सभी पड़ोसी लोगों से पहले ही अपील की जा चुकी है कि वे क्षेत्र की समग्र प्रगति और खुशहाली के लिए परियोजना का समर्थन करें.

एनपीसीआईएल का विश्वास है कि एक बार परियोजना चालू हो जाने के बाद ग्राम निवासियों को परमाणु बिजली प्रचालन के सुरक्षित फायदों और सभी के लिए भरोसेमंद बिजली उत्पादन की बात समझाई जा सकेगी.

**प्रश्न: कितनी यूनिटें तैयार हैं और उनके कब तक चालू हो जाने संभावना है? तमिलनाडु को कितनी बिजली मिलेगी और अन्य कौन से राज्य हैं जिन्हें इसके प्रचालन से लाभ होने की संभावना है और इन राज्यों को कितना लाभ होगा? अतिरिक्त यूनिटों के संदर्भ में भावी विस्तार की क्या योजनाएं हैं और इस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?**

**पीएसडी:** केकेएनपीपी यूनिट -1 परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से उत्पादन शुरू करने के प्रथम चरण की औपचारिक मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है. इसका अर्थ है कि नियंत्रित तरीके से परमाणु श्रृंखला अणुओं के विखंडन की अनुमति मिलना. यूनिट -1 पूर्ण होने की स्थिति में है और एईआरबी से चरणबद्ध तरीके से मंजूरी प्राप्त करने के आधार पर इसके चालू हो जाने की संभावना है. विद्युत मंत्रालय के समझौता ज्ञापन के अनुसार कुल 2000 मेगावाट बिजली में तमिलनाडु को 925 मेगावाट बिजली मिलेगी और अन्य लाभार्थियों को ब्यौरा इस प्रकार है:

| | |
|---|---|
| कर्नाटक - | 442 मेगावाट विद्युत |
| केरल - | 267 मेगावाट विद्युत |
| तमिलनाडु - | 925 मेगावाट विद्युत |
| पांडिचेरी - | 66 मेगावाट विद्युत |
| गैर-आवंटित - | 300 मेगावाट विद्युत |

भावी विस्तार योजनाओं के अंतर्गत केकेएनपीपी के लिए वर्तमान में अधिगृहीत जमीन पर 1000-1000 मेगावाट क्षमता की चार और इकाइयां लगाने का प्रस्ताव है.

## रोज़गार सारांश

### सं.लो.से.आ.

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2013 की अधिसूचना जारी

**अंतिम तिथि: 24.06.2013**

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

**अंतिम तिथि: 13.06.2013**

### स.सी.ब.

- सशस्त्र सीमा बल को 766 सहायक उप निरीक्षक (दूरसंचार), हवलदार (दूरसंचार), सिपाही (दूरसंचार) की आवश्यकता है.

**अंतिम तिथि: 20.06.2013**

**बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.**

## वेब विशेष

**wwww.rojgarsamachar.gov.in** पर वेब विशेष कॉलम में निम्नलिखित विषय उपलब्ध हैं:

1. चीन दौरा, बहुत सफल : विदेश मंत्री
2. खाद्य मुद्रास्फीति तीन साल में सबसे निचले स्तर पर

# चीन से सावधान...

**— भरत वर्मा**

मुगलों और अंग्रेज़ों के बाद अब ऐसा लगता है कि भारत को घेरने, वशीभूत करने और एक प्रतिनिधि ताकत बनाने की कोशिशें करने की अब चीन की बारी है. जाहिर तौर पर, चीन को ये पक्का विश्वास हो गया लगता है कि एक पहाड़ पर दो शेर नहीं रह सकते.

शांतिप्रियता किसी व्यक्ति विशेष की अंतरात्मा के लिए अच्छी हो सकती है परंतु एक राष्ट्र के लिए यह नुकसानदेह है. बुद्धिज़्म के अवतरण के साथ-साथ तिब्बत शांतिप्रियता की दलदल में फंसकर अपनी आज़ादी को ही गंवा बैठा है. साउथ ब्लॉक अब भी इससे सबक नहीं ले रहा है. पंडित नेहरू तिब्बत जैसे छोटे से राष्ट्र को बचाने के वास्ते आगे आने से बहुत ज्यादा सहमे हुए थे. नेपाल ने इसे महसूस किया और आश्वासन के मुताबिक चीन के साथ वार्तालाप के द्वार खोल दिये. भारत की विदेश नीति उस वक्त पूरी तरह धराशायी होती दिखाई दे रही थी जब काठमांडु हमारे प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया और चीन का मातहत देश बन गया. भूटान भी शीघ्र इसी रास्ते को अपना सकता है, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा करने में एक मज़बूर असमर्थ भारत को देख रहा है. नई दिल्ली जहां एक ओर सामान्य भाषा बोल रही है वहीं चीन लगातार अपने आक्रामक तेवर दिखा रहा है. ऐसे में एशिया में पेइचिंग के नेतृत्व में भारत को एक प्रतिनिधि ताकत के रूप में तैयार करने की चीन की कल्पना साफ झलकती है. लेकिन चीन के कवच में तिब्बत और सिंकियांग एक तरह से दरार हैं. तिब्बत में असाधारण अवसंरचना विकास और बहुल सैन्य डिवीजनों की तैनाती की क्षमता हासिल करने के बावजूद चीन को वहां लगातार प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है.

दुर्भाग्य से भारतीय सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का काम पिछले दशक से प्रणालीगत व्यवस्था के बीच फंसा पड़ा है. पश्चिमी प्रौद्योगिकी की मदद से और भारत के पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के वास्ते किये गये प्रयास चीन के लिए चिंताग्रस्त होने के प्रमुख बिंदु हो सकते हैं. यह बात बहुत कम लोगों की जानकारी में है कि हर समय जब भी भारत ने अमरीका से निकटता दर्शाई तो चीन इससे परेशान हो उठा और उसने भारत में इसके विरुद्ध लॉबिंग करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी. पेईचिंग में नियंत्रित मीडिया ने उस समय जबर्दस्त आलोचना शुरू कर दी जब भारत ने फ्रेंच रफाल को भारतीय वायु सेना के लिए चुन लिया. फ्रांस को उसने एक 'ग़ैर जिम्मेदार' की संज्ञा दे डाली. भारतीय सेना में अत्यधिक उत्कृष्ट पश्चिमी प्रौद्योगिकी को तेज़ी से शामिल किये जाने और ड्रेगन से इन्कार होना तिब्बत में चीन के शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा, जो कि अपने को मुख्य भूमि से पूरी तरह जोड़कर रखने में अब भी असमर्थ है. चीन के कवच में बैठी इस दरार का फायदा उठाने की आवश्यकता है.

दक्षिणी चीन सागर में उठे विवादों के बीच जापान, ताईवान और अन्य क्षेत्रों के संबंध में उन्हें चीन से संरक्षण के अमरीकी वायदे के मद्देनज़र चीन कई कारणों से शोर मचा सकता है. परंतु वह भारत-तिब्बत सीमा पर उपलब्ध कमज़ोर ठिकानों पर सैन्य क्षमता बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है.

प्रथमतः चीन का ये आकलन कि किसी बढ़ते संकट का प्रतिरोध करने के लिए नई दिल्ली में बैठा नेतृत्व पर्याप्त रूप से मज़बूत नहीं है, सही प्रतीत होता है. दूसरे चीन, जो कि भारत के भीतर घटित होने वाले सभी आंतरिक घटनाक्रमों पर निकट से नज़र रखता है, सेना के भीतर मानवशक्ति और उपकरणों की कमी की पूरी जानकारियां रखता है. वे नाराज़ सैनिकों द्वारा राष्ट्रपति को अपने पदक लौटाते हुए देखने के गवाह हैं. राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को सामान्यतः पर्याप्त रूप से मारक क्षमता से लैस नहीं किया है. तीसरे और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण रूप से अफगानिस्तान से अमरीकी सुरक्षा बलों की वापसी है, जिसकी रणनीतिक रूप से भरपाई किये जाने की आवश्यकता है. अतः भारत को न केवल अफगानिस्तान से दूर रखना बल्कि पूर्वी क्षेत्र में बग़ैर कोई गोली दागे अधिक से अधिक क्षेत्र को अपने पास कायम रखना बुद्धिमानी होगा. भारतीय क्षेत्र में सैंकड़ों घुसपैठ की घटनाओं को लोगों की नज़रों से दूर रखकर सरकार ने चीन को डीबीओ क्षेत्र में 19 कि.मी. अंदर तक घुसने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित किया है जिससे वह पूर्वी लद्दाख में अपने दावों का विस्तार करता जा रहा है. चीन यहां ज़मीनी नियमों को बदलने पर ज़ोर देता है क्योंकि वह जम्मू एवं कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे का समर्थन करता है और इसे एक विवादित क्षेत्र बताता है. इस गहरी घुसपैठ से उसे पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगिट-बाल्टिस्तान और पीओके के संबंध में भारत द्वारा पत्ते खेलने से रोकने में सहायता मिलती है. पीएलए छद्म रूप से अपनी निर्माण गतिविधियों के जरिए वहां क्षेत्र को दबाने में लगी है.

भारत को, शांतिप्रियता की नीति से ज़रा हटकर अपने दिलोदिमाग को मज़बूत करने की ज़रूरत है, जो कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने मन में हार मान बैठता है. उसे चीन और चीन-पाकिस्तान द्वारा मिलकर गैर कानूनी रूप से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा ज़माने के प्रयासों को नेस्तनाबूद करने के वास्ते कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, जो वहां भारत के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं. इसके लिए एक मज़बूत राष्ट्रीय नेतृत्व और विदेश

**शेष पृष्ठ 2 पर**

# टेलीविजन निर्माता के रूप में रोज़गार

-टी. श्रीपति

दुनियाभर के लाखों दर्शकों के लिए टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करने से संबंधित टेलीविजन निर्माण का काम एक रोमांचक पेशा है. टेलीविजन निर्माताओं का व्यवसाय काफी अधिक रोमांच से भरा होता है और वे अपने रोज़गार के प्रति संतुष्ट होते हैं. टेलीविजन निर्माण में रोज़गार के लिए कड़ी मेहनत, देर तक काम करने, पटकथा को सिनेमा के दृश्य के रूप में ढालने तथा एकल और बहु कैमरा, निर्माण वीडियो कैमरा, रिकॉर्डरों, ऑडियो रिकॉर्डिंग मिक्सिंग उपकरण, प्रकाश उपकरण, वीडियो स्विचिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन और निर्माण के बाद उपकरण और वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर को संचालित करने का कौशल होना चाहिए.

टेलीविजन निर्माता टेलीविजन निर्माण के शुरूआत से लेकर अंत तक और इससे जुड़ी हर छोटी.बड़ी बात से जुड़ा होता है जिसमें टेलीविजन सीरियल, रिएलिटी शो, गेम शो, डॉक्यूमेंट्री, सिटकॉम, टॉक शो, संगीत वीडियो और टेलीविजन समाचार भी शामिल हैं. टेलीविजन निर्माता को इस उद्योग, कार्यक्रम के प्रारूपों और मीडिया सेल्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए. इससे आत्म विकास बढ़ाने और टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) तथा निवेशकों के लिए मुनाफा प्राप्त करने में मदद मिलती है. मात्र दर्जन भर सीरियलों से शुरू हुए भारतीय टेलीविजन उद्योग ने व्यापक वृद्धि दर्ज की है और आज लगभग 900 चैनल मौजूद हैं. टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रति दर्शकों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर निर्माण के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में प्रशिक्षित लोगों के लिए बहुत से अवसर हैं.

### कार्य की प्रकृति

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तकनीक में तेजी से बदलाव हो रहा है, नवीनतम वीडियो निर्माण तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल टेलीविजन निर्माण और इसके बाद की स्थितियों में लाभ की स्थिति प्रदान करता है. एक टेलीविजन निर्माता और निर्माण इकाई का प्रमुख होने के नाते निर्माता लेखन, शोध, पटकथा, निर्देशन, शूटिंग, संपादन, ग्राफिक्स, एनिमेशन, श्रव्यता, प्रसारण, वेबकास्टिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग सहित शुरूआती विचार से लेकर अंतिम उत्पादन तक के उच्च गुणवत्ता वाले टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है. उसके लिए कॉपीराइट और डाटा संरक्षण सहित मौजूदा मीडिया कानूनों की जानकारी भी जरूरी है.

### कौशल, ज्ञान और क्षमता

टेलीविजन निर्माण में जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति का मेहनती और आत्मविश्वासी होना आवश्यक है. इसके अलावा उसमें निम्नलिखित कौशल ज्ञान और क्षमता भी होनी चाहिए.

- निर्माण के पहले और बाद के चरणों में एक साथ बहुत से काम करने की क्षमता.
- आधुनिक टेलीविजन निर्माण तकनीक से अवगत होना.
- पूर्व में टेलीविजन निर्माण का अनुभव हितकर होगा.
- शब्दों और चित्रों के माध्यम से लेखन का कौशल.
- अनेक चीजों को संभालने और तयशुदा समय के भीतर काम को पूरा करने की क्षमता.
- संसाधनों से भरपूर और समस्याओं को निदान करने की क्षमता.
- बजट और वित्तीय स्थितियों को संभालने की क्षमता.
- बोलकर और लिखकर संपर्क साधने की कला.
- क्षमताओं और संगठनात्मक क्षमताओं को एक साथ जोड़ने की कला.
- काम के प्रति पूरा ध्यान और पद्धतिवार दृष्टिकोण.

### काम की स्थितियां

टेलीविजन निर्माता पूरी इकाई के लिए गतिशील और प्रेरणादायी स्रोत के रूप में काम करता है. एक टेलीविजन निर्माता के लिए काम की स्थितियां समय के अनुरूप बदलती रहती हैं. आमतौर पर उनके काम करने के घंटे सुबह दस से शाम पांच बजे तक के बीच बंधे हुए नहीं होते. जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसे सुलझाने की उपलब्धता के अनुकूल वे अपने काम करने के घंटे स्वंय निर्धारित कर सकते हैं.

### रोजगार परिप्रेक्ष्य

टेलीविजन चैनलों की संख्या में वृद्धि, तकनीक में नवीनता, उपकरणों तथा निर्माण लागत में आई कमी और होम वीडियो दृश्यता में हुई वृद्धि की वजह से प्रशिक्षित टेलीविजन निर्माताओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध हुए हैं. इसके अलावा शैक्षणिक मल्टी मीडिया अनुसंधान केन्द्रों (ईएमएमआरसी), केन्द्र और राज्य सरकारों के शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों के तहत स्टूडियोज की वजह से भी टेलीविजन निर्माताओं के लिए अपार अवसर मौजूद हैं. इस रोज़गार में भविष्य में रिक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होगी.

### शिक्षा और प्रशिक्षण

टेलीविजन निर्माण के रूप में रोजगार अपनाने के लिए आधारभूत डिग्री होना प्रथम चरण है. लेकिन टेलीविजन निर्माण के बारे में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव तथा कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहने वाले व्यक्ति के लिए औपचारिक शिक्षा कोई बाध्यता नहीं है. टेलीविजन निर्माण के क्षेत्र में रोजगार के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए कई विश्वविद्यालय विभागों और संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. यह प्रशिक्षण दो प्रकार से दिया जाता है. एक विशेषीकृत पाठ्यक्रम के रूप में और मास कम्यूनिकेशन, विजुअल कम्यूनिकेशन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्यधारा पाठ्यक्रम के भाग के रूप में टेलीविजन निर्माण. उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार तकनीक में आए बदलाव के अनुरूप संस्थानों द्वारा खास तौर पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाते हैं.

टेलीविजन निर्माण में प्रशिक्षण के अलावा अनेक विश्वविद्यालय और संस्थान छात्रों को टेलीविजन चैनल अथवा निर्माण कंपनी अथवा टेलीविजन निर्माता के साथ इंटर्नशिप करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि उन्हें इसका वास्तविक अनुभव प्राप्त हो सके.

विश्वविद्यालयों के मीडिया विभाग पत्रकारिता और मास कम्यूनिकेशन से संबंधित पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर और परास्नातक स्तर पर टेलीविजन निर्माण को भी एक प्रश्नपत्र के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं. टेलीविजन निर्माण में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं.

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन (आईआईएमसी), नई दिल्ली
- फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई), पुणे
- सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता
- फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई
- ए. जे. किदवई मास कम्यूनिकेशन रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली
- सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, मुंबई
- एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, नोएडा
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजायन, अहमदाबाद

### आय और लाभ

काम के शुरूआत में व्यक्ति निर्माण सहायक अथवा एसोसिएट निर्माता के रूप में प्रतिमाह 10,000 से 15,000 रुपए तक कमा सकता है. शुरूआती स्तर का रोजगार प्राप्त करने में इंटर्नशिप काफी सहायक सिद्ध हो सकती है. टेलीविजन निर्माता की आय कार्यक्रम की लोकप्रियता, गुणवत्ता और बजट पर निर्धारित होती है. जो व्यक्ति समय की मांग के अनुरूप सृजनात्मकता और तकनीकी विकास में अपने कौशल को काफी मजबूत कर लेते हैं उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं.

टेलीविजन निर्माता को कार्यक्रम निर्देशक और संगठन प्रमुख बनने तक का मौका मिलता है. वे जितनी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे उतने ही अधिक अनुभव और कौशल की अपेक्षा की जाएगी. जो लोग इसमें महारत हासिल कर सकते हैं उनके लिए यह काफी अधिक रोमांचक और पैसों वाला रोज़गार है.

**(लेखक बैंगलोर विश्वविद्यालय के स्टडीज इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.)**
**ईमेल. t.sripaty@gmail.com**

## चीन से सावधान ...

**पृष्ठ 1 का शेष**

कार्यालय में सैन्य सोच-विचार लाए जाने की आवश्यकता होगी. युद्धविरोधियों और चीन की लॉबी करने वालों की तरफसे किया जा रहा ये प्रचार सत्य नहीं है कि हमारी सैन्य तैयारी नहीं है. हमें अपनी भूमि और आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए. राष्ट्र ने राजनीतिक और सैन्य दोनों रूप में दृढ़ विचारों और मज़बूत जनरलों की अत्यधिक कमी के बावजूद भी काफी कुछ जीता है. चीन द्वारा उसके प्रधानमंत्री के भारत दौरे के मद्देनज़र डीबीओ से वापसी करते हुए तनाव पर अस्थाई विराम लगाने और उसकी बचाव की मुद्रा के बावजूद वहां घुसपैठ और भूमि को कब्ज़ाने की उसकी मुहिम जारी रहेगी. अतः भारत की कार्य नीति निम्नानुसार होनी चाहिए:

- तिब्बत में स्वतंत्रता के लिए जारी संघर्ष को 'नैतिक समर्थन' अवश्य दिया जाना चाहिए. भारत को दलाई लामा की निर्वासित सरकार का फिर से समर्थन करना चाहिए जिसे पश्चिमी गठबंधन की ओर से काफी समर्थन प्राप्त है.
- चूंकि चीन और पाकिस्तान भारत के विरोध में एकजुट हो गए हैं, हमें गिलगिट-बाल्टिस्तान, पीओके और ब्लूचिस्तान को नैतिक समर्थन देना चाहिए. यदि ब्लूचिस्तान स्वतंत्र हो जाता है, तो क्वाडर बंदरगाह चीन को उपलब्ध नहीं होगा जो चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा.
- भारत ने ''रणनीतिक साझेदारी'' पर सभी के साथ और विभिन्न रूपों में हस्ताक्षर करके इसे महत्वहीन बना दिया है. यह भारत के हित में है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताईवान और वियतनाम जैसे एशियाई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी में निवेश किया जाए और अमरीका तथा पश्चिमी गठबंधन के साथ निर्णायक राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक साझेदारी भी कायम की जाए. शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में होना चाहिए.
- यह बात उल्लेखनीय है कि चीन और पाकिस्तान ही केवल ऐसे दो देश हैं जो भारत की भूमि के बड़े हिस्से पर अपने दावे ठोंकते रहते हैं. दोनों ही तानाशाही शासन हैं जो हमारे उदारवादी मूल्यों के साथ टकराव करते हैं. भारत के तुष्टीकरण के तमाम प्रयासों के बावजूद वे हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहेंगे.
- अफगानिस्तान में अमरीकी वापसी के बाद हमारा निवेश व्यर्थ नहीं होना चाहिए. अकेले और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन (रूस सहित) के साथ भारत को अफगानियों को नैतिक समर्थन देना चाहिए और पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से तालिबान को उभरने से रोकना चाहिए.
- जापान, दक्षिण कोरिया और पश्चिमी गठबंधन के लिए व्यापार अनुकूल वातावरण बनाते हुए चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करते हुए आर्थिक हितों में विविधता लाई जानी चाहिए. चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति है और उन्हें व्यापक भारतीय बाज़ार की ज़रूरत है. हमारे पास ये एक महत्वपूर्ण अवसर है.
- चूंकि हमें दो प्राकृतिक प्रतिरोधी मोर्चों से सामाना करना पड़ता है इसलिए भारत की सैन्य और गुप्तचर क्षमताओं का युद्धस्तर पर विस्तार करना महत्वपूर्ण है. शुरूआत में बुनियादी हथियारों का तेज़ी से आयात किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, जैसा कि कई विश्लेषकों ने सलाह दी है, एक अस्थाई समझौता नहीं कर सकते. दीर्घावधि में देश में आधुनिक रक्षा उत्पादन सुविधाओं के सृजन के लिए 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाकर निजी क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाए जाने चाहिए.
- लंबे समय से भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा- एलएसी के आसपास भूमि पर कब्ज़ा जमाया हुआ है और चीन को कोई खास आपत्तियां भी नहीं है. चतुराई से बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों के निर्माण के बाद उसने डीबीओ क्षेत्र में 19 कि.मी. अंदर घुसपैठ करके पूर्वी लद्दाख में अपने दावे का विस्तार करते हुए आंखे दिखाना शुरू कर दिया. भारत में चीन की लॉबी करने वालों का ये दावा कि वे अमरीका के 'सुपरमैन' जैसा स्वरूप प्रदान करने के लिए हमारे खिलाफ 30 डिवीजन तैनात कर सकते हैं, सच्चाई ये है कि उन्हें इन सेनाओं की अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में परिस्थिति-अनुकूलन करने की आवश्यकता है जिसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और ये एक अप्रत्याशित तथ्य होगा. दूसरी तरफभारत सेनाओं में स्तरीय निर्माण तेज़ी से कर सकता है क्योंकि पहले से ही उसके सक्रिय कोर मुख्यालय हैं.
- स्थानीय स्तर पर चीनी सेनाओं की घुसैपठ तत्काल रोकी जानी चाहिए और वास्तविक नियंत्रण रेखा के सीमांकन पर जारी भ्रम के तहत हमारी सेना को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और चीन की तरफ समान रूप से धावा बोलना चाहिए. यह एक मानक प्रचालन प्रक्रिया होनी चाहिए. अन्यथा भारत अपनी भूमि, क्षेत्र और आत्म-सम्मान एवं प्रतिष्ठा को खो देगा.

**(लेखक इंडियन डिफेंस रिव्यू के संपादक हैं.)**
**(ई-मेलः bharat.verma@indiandefencereview.com)**

**(इसके साथ ही विदेश मंत्री के हाल के चीन दौरे पर दिये गये बयान को भी www.rojgarsamachar.gov.in पर वेब विशेष आलेख के अंतर्गत पढ़ें.)**

(इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और ये रोज़गार समाचार के विचार नहीं हैं.)

## न्यूज़ डाइजेस्ट

- *सीबीआई को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए कानून तैयार करने के संबंध में केन्द्र सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई 10 जुलाई की समय सीमा के मद्देनजर भारत सरकार ने इस बारे में तीन सप्ताह के भीतर नए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है. इस मंत्री समूह की अध्यक्षता वित्त मंत्री श्री पी. चिंदबरम करेंगे . इसके अलावा गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे, विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, विधि मंत्री श्री कपिल सिब्बल और कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री श्री वी. नारायण सामी इस मंत्री समूह में शामिल किए गए हैं.*
- *केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय के दायरे को 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने को मंजूरी दिए जाने से अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के और अधिक लोगों को सरकारी नौकरियों और केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा.*
- *थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अप्रैल माह में घटकर 4.89 प्रतिशत हो गई है. यह पिछले साढ़े तीन वर्षों में न्यूनतम है. (विश्लेषण के लिए* **www.rojgarsamachar.gov.in** *पर वेब विशेष देखें)*
- *पांच करोड़ से भी अधिक अंश धारकों को लाभ देते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने 2012-13 के लिए भविष्य निधि खातों पर 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान को मंजूरी प्रदान की है. पिछले वर्ष यह 8.25 प्रतिशत थी.*
- *केन्द्र द्वारा एक जून से 20 जिलों में प्रत्यक्ष नकद अंतरण के जरिए रसोई गैस पर सब्सिडी देने की शुरूआत की जाएगी.*
- *डायरिया की प्रमुख वजह रोटावायरस से निपटने के लिए देश में निर्मित पहली दवा 2014 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.*
- *इस्लाम के प्रख्यात विद्वान असगर अली इंजीनियर का मुंबई में निधन हो गया. 'इस्लामिक पर्सपेक्टिव' के संपादक रहे असगर अली इंजीनियर ने इस्लाम और सांप्रदायिक हिंसा पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया था.*
- *पाकिस्तान के ऐतिहासिक आम चुनावों में 272 संसदीय सीटों में से 123 सीटें जीतकर नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन (पाकिस्तान मुस्लिम लीग) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है. नवाज शरीफ के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और पीएमएल-एन द्वारा केन्द्र में सरकार बनाने की संभावना है.*
- *अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा भारत पर पिछले वर्ष ओलंपिक में लगाए गए प्रतिबंध को हटाने को लेकर सैद्धांतिक सहमति के बाद ओलंपिक में भारत की वापसी की राह खुल गई है.*
- *प्रख्यात रचनाकार डॉ. इंदिरा गोस्वामी को मरणोपरांत 2012 के असोम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. असोम रत्न पुरस्कार असम राज्य का उच्चतम राजकीय सम्मान है.*

भारत सरकार

# पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

**पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय**

**नॉनग्रिम हिल्स, शिलांग-793003**

**विज्ञापन सं एनईसी/प्रशा./79/80 पार्ट**

1. पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, प्रतिनियुक्ति आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारी की सेवाओं की तलाश में है. पद के लिए विवरण, पात्रता मानदंड, कार्य अपेक्षा, और पदों के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव नीचे **परिशिष्ट-I** में दर्शाए गए हैं. पात्र एवम् इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट-II** में उचित माध्यम से आवेदन करें. **विवरण एनईसी वेबसाइट http://necouncil.gov.in.** पर भी उपलब्ध हैं.

1. सांख्यिकीविद्
2. उच्च श्रेणी लिपिक

संवर्ग प्राधिकारी/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों के आवदेन, जिनकी सेवाएं, चयन होने पर तत्काल कार्यमुक्त की जा सकें, निदेशक (प्रशासन) को इस विज्ञापन के रोज़गार समाचार में प्रकाशन की तारीख से **60 दिनों के भीतर** पहुंच जाना चाहिए. निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट-II**) में आवदेन दो प्रतियों में निम्नलिखित प्रलेखों/प्रमाणपत्रों के साथ संलग्न किया होना चाहिए. अपूर्ण आवदेन अथवा अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदन, पर बिना कोई कारण बताए विचार नहीं किया जाएगा.

**आवदेन अग्रेषित करते समय कार्यालय/विभाग द्वारा दिया जाने वाला आवेदन/प्रमाणन के साथ संलग्नकों की सूची.**

**1. निर्धारित प्रपत्र-परिशिष्ट-II में आवेदन विधिवत पूर्ण, उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित और संवर्ग/नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो.**

**2. पिछले पांच (5) वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की सत्यापित प्रतियां, भारत सरकार के अवर सचिव अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो. (प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकारी की मुहर के साथ)**

**3. सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र.**

**4. सतर्कता मुक्ति प्रमाण पत्र.**

**5. उसकी सेवा के पिछले 10 वर्षों के दौरान आरोपित बड़े अथवा छोटे दण्डों का प्रमाण पत्र.**

**6. इस आशय का प्रमाण पत्र कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत विवरण सेवा अभिलेखों के अनुसार सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए है.**

**7. संवर्ग मुक्ति प्रमाण पत्र**

**(डेविड लालमालसवमा)**
**निदेशक (प्रशा)**
**अनुलग्नक-I**

**1. सांख्यिकीविद् का एक (1) पद वेतनमान रु. 10000-325-15200/- (पूर्व-संशोधित) और पे बैण्ड पीबी-3-रु. 15600-39100 जीपी 6600/- (संशोधित वेतन).** (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नही होगी)

**नियुक्ति की पद्धति और पात्रता मानदण्ड:** प्रतिनियुक्ति

1. केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारीः-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतनमान रु. 8000-13500/- (पूर्व-संशोधित) या समकक्ष में पदों में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हों; या

(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतनमान रु. 6500-10500/- (पूर्व-संशोधित) या समकक्ष में पदों में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा की हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते होंः

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से सांख्यिकी या प्रचालन अनुसंधान या गणित या वाणिज्य या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) में मास्टर्स डिग्री.

(ii) सांख्यिकीय डाटा के संकलन, विश्लेषण और निर्वचन में पांच वर्ष का अनुभव.

(प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें इस नियुक्ति के तत्काल पहले केंद्र सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष से अधिक** नहीं होगी.)

**कार्यापेक्षा:** सांख्यिकी डाटा का संकलन, विश्लेषण और निर्वचन एवं अपेक्षानुसार समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य. प्रतिनियुक्ति का वेतन और अन्य निबंधन एवं शर्तें डीओपीटी की का.ज्ञा. सं ओ एवं एम नं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) दिनांक 17.06.2010 यथा संशोधित के अनुसार विनियमित होगी.

2. **उच्च श्रेणी लिपिक 2 (दो) पद** प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण द्वारा पे बैण्ड पीबी-1 रु. 5200-20200/- + ग्रेड पे रु. 2400/-

(प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष होगी जिसे 3 (तीन) वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.)

**भर्ती की पद्धति और पात्रता मानदण्ड:** प्रतिनियुक्ति द्वारा

सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति या वेतनमान रु. 3050-4590 संशोधित पीबी-1 रु. 5200-20200/- + ग्रेड पे रु. 1900/- के वेतनमान में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में आठ वर्ष की सेवा की हो.

चयनित व्यक्ति के वेतन और भते समय समय पर लागू भारत सरकार के निर्णयों और संगत नियमों के अनुसार विनियमित होंगे.

**परिशिष्ट-II**

**आत्मवृत्त प्रपत्र**

1. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में):
2. जन्म तिथि (इस्वी सन् में):
3. केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की तारीखः
4. शैक्षिक योग्यताएं:
5. क्या इस पद लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं रखते हैं (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित योग्यता के समकक्ष माना गया हो तो उसकी अथॉरिटी का उल्लेख करें)

| | अपेक्षित योग्यता/अनुभव | अधिकारी द्वारा प्राप्त योग्यता/अनुभव |
|---|---|---|
| **अनिवार्य** | (1) (2) (3) | |
| **वांछित** | (1) (2) | |

6. कृपया साफ साफ बताएं कि क्या आप ऊपर दिए गए इंदराज के अनुरूप पद की अपेक्षाएं पूरी करते हैं.

7. कालक्रमानुसार रोज़गार का विवरण, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हैं, तो अपने हस्ताक्षरों से विधिवत साक्ष्यांकित अलग से शीट लगाएं.

| कार्यालय/संस्थान/संगठन | धारित पद | | वेतनमान और मूल वेतन | ड्यूटियों का स्वरूप |
|---|---|---|---|---|
| | से | तक | | |
| | | | | |

8. वर्तमान रोज़गार का स्वरूप अर्थात तदर्थ या अस्थायी या अर्द्ध स्थायी या स्थायी.

9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारण किए हुए हैं तो कृपया बताएं:

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि

(ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि

(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबद्ध हैं

10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरा. कृपया बताएं किसके तहत कार्यरत हैं

(संगत कॉलम के सामने अपने नियोक्ता के नाम का उल्लेख करें)

(क) केन्द्रीय सरकार (ख) राज्य सरकार

(ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम

(ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य

11. कृपया बताएं कि क्या आप इसी विभाग में और फीडर ग्रेड या फीडर के फीडर ग्रेड में कार्यरत हैं.

12. क्या आप संशोधित वेतनमान में है? यदि हां तिथि, जब से संशोधन हुआ और असंशोधित वेतनमान का भी उल्लेख करें.

13. वर्तमान में प्राप्त कुल परिलब्धियां.

14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका पद हेतु सुयोगयता के समर्थन में उल्लेख करना चाहते हैं.

(इसके तहत अन्य बातों के अलावा निम्न सूचना दी जा सकती है- (i) अतिरिक्त अकादमिक योग्यताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) विज्ञापन में वर्णित कार्यानुभव से अधिक अर्जित अनुभव.

(**नोट:** यदि स्थान पर्याप्त न हो तो एक शीट अलग से लगाएं)

15. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)/विलयन/पुनःरोज़गार आधार पर आवेदन कर रहे हैं. (केवल केंद्र/राज्य सरकारों के अधीन अधिकारी ही विलयन के लिए पात्र हैं. गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत उम्मीदवार केवल लघु अवधि अनुबंध के पात्र है).

उ.श्रे.लि. के पद के लिए, पद केवल केंद्र/राज्य सरकार या संशा प्रशासन से प्रतिनियुक्ति के लिए है.

16. क्या आप अजा/अजजा से संबंधित हैं?

17. अभ्युक्तियां (उम्मीदवार निम्न से संबद्ध सूचना का उल्लेख कर सकते हैं)

(i) शोध प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजनाएं

(ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति /कार्यालय प्रशस्तिपत्र

(iii) व्यावसायिक/संस्थाएं/संस्थानों/सोसाइटियों के साथ संबद्धता और

(iv) कोई सूचना

(**नोट :** यदि स्थान पर्याप्त न हो तो एक शीट अलग से लगाएं)

**अतिरिक्त सूचना**

18. क्या वर्तमान पद स्थायी आधार अथवा स्थानापन्न आधार अथवा प्रतिनियुक्ति/लघु अवधि अनुबंध पर धारित है.

19. वर्तमान धारित पद का वेतनमान/वेतन बैंड साथ में ग्रेड वेतनः

20. यदि उक्त क्रम सं. 19 में ग्रेड वेतन के साथ वेतनमान/वेतन बैंड धारित स्थायी पद का नहीं है. (यथा प्रतिनियुक्ति/लघु अवधि अनुबंध/ए सी पी योजना अपग्रेडेशन/एमएसीपी अपग्रेडेशन पर है) तब स्थायी वेतन (वेतनमान/वेतन बैण्ड, ग्रेड वेतन सहित) है.

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मुझे यह अच्छी तरह मालूम है कि विधिवत रूप से दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत आत्मवृत्त का पद हेतु चयन के समय चयन समिति द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा.

**तिथि:** **उम्मीदवार के हस्ताक्षर**

**पता** .....

**प्रति हस्ताक्षर**

.....

**(नियोक्ता साथ में मुहर)**

**सतर्कता मुक्ति प्रमाणपत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लंबित अथवा अवेक्षित नहीं है.

**सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम**

**बड़े/छोटे दण्डों की रिपोर्ट**

प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान श्री/श्रीमती.....पर बड़े अथवा छोटे दण्ड आरोपित नहीं किए गए है.

**सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम**

**सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र**

श्री/श्रीमती ..... के सेवा विवरणों की ध्यानपूर्वक जांच कर ली गई है और प्रमाणित किया जाता है कि सत्यानिष्ठा संदेह से परे हैं

**सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम**

**रो. स. 8/53**

**अतुल्य पूर्वोत्तर !**

# पूर्वोत्तर में कॉफी की खेती

**– कल्पना गोस्वामी**

विशिष्ट सौरभ और सुगंध वाली गर्म पेय कॉफी की खेती पूर्वोत्तर में जैविक तरीके से हो सकती है. यदि ऐसा होता है, तो इससे कॉफी को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जितना कि चाय पर. वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वाणिज्य विभाग को पूर्वोत्तर के लिए कॉफी का वर्धित मूल्य प्राप्त करने में सहायता देने हेतु विदेशी पेय के रूप में पूर्वोत्तर के कॉफी का विपणन करने हेतु सभी कदम उठाने के लिए कहा है. जैविक कॉफी वह कॉफी है जो इस तरीके से उत्पादित की जाती है, जो उस कृषि पद्धतियों के प्रयोग द्वारा जिसमें केवल गैर-कृत्रिम पोषक तत्वों और पौध संरक्षण विधियों का प्रयोग होता है, मृदा ढांचा, लचीलापन एवं उर्वरता के संरक्षण और वृद्धि में सहायता करता है. दुनियाभर में करीब 40 देशों द्वारा जैविक कॉफी का उत्पादन किया जाता है, जिसमें पेरू, इथोपिया और मैक्सिकों का काफी बड़ा शेयर है. जैविक कॉफी का उपयोग मुख्यतः यूरोप, यूएस और जापान में होता है. संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई रिपोर्ट में वाणिज्य विभाग से इस क्षेत्र के कॉफी के लिए जैविक प्रमाणन प्राप्त करने और निर्यातकों से संपर्क स्थापित करने में सहायता करने के लिए सभी कदम उठाने के लिए कहा गया है, ताकि कॉफी वर्धित मूल्य पर बेची जा सके और साथ ही उत्पादकों एवं कामगारों की सहायता की जा सके. इसने पूर्वोत्तर में कॉफी की खेती द्वारा प्रदत्त अवसर, जहां भूल-चूक से खेती जैविक है, का लाभ उठाने के लिए कहा है. ये छोटे और जनजातीय कॉफी उत्पादक अपनी निम्न आर्थिक स्थिति और प्राकृतिक खेती में अपने विश्वास के कारण रासायनिक उर्वरकों और पौध संरक्षण रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं. परिणामतः उत्पादन कम होता है और यह जीवन-निर्वाह भर के लिए होता है. अतः वहां इन छोटे और जनजातीय जोतों को मौजूदा खेती पद्धतियों में अधिक परिवर्तन किए बिना प्रामाणिक जैविक खेती में बदलने की अच्छी संभावना है.

उत्पादन 2008-09 के 80 टन से बढ़ रहा है और इसके 2012-13 में 220 टन तक पहुंचने की संभावना है. पूर्वोत्तर के लिए 11वीं योजना में आवंटन 20 करोड़ रुपए था और 12वीं योजना के लिए प्राधिकारियों ने पर्याप्त वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है. इस क्षेत्र में कॉफी मुख्यतः मिजोरम, त्रिपुरा में जम्पुई पहाड़ियों और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उत्पादित होती है. पूर्वोत्तर में कॉफी का कुल रोपण क्षेत्र 5,545.63 हेक्टेअर है, जबकि कुल धारण क्षेत्र 739.02 हेक्टेअर है. छोटे जोतों की संख्या 7,083 है.

पूर्वोत्तर में कॉफी बोर्ड के अधिकारी यह कहते हैं कि इस क्षेत्र में कॉफी की खेती शुरू करने के उद्देष्य जनजातीय क्षेत्र में कॉफी की खेती और उपयुक्त वाणिज्यिक एवं पर्यावरण अनुकूल कार्यकलापों का संवर्धन है. यह झूम/परिवर्तन खेती के जोखिम भरी पद्धति से स्थानीय निवासियों को छुटकारा दिलाएगा और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु उन्हें एक आर्थिक कार्यकलाप में व्यवस्थित करेगा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ''फिर भी, समिति यह अनुभव करती है कि पूर्वोत्तर में कॉफी कवरेज का विस्तार दो महत्वपूर्ण कारणों से तेजी से किया जाना चाहिए. प्रथमतः कॉफी उत्पादन सुदूर और ग्रामीण क्षेत्र में लाभकर रोजगार का स्रोत है और द्वितीयतः देश में कॉफी उत्पादन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है.''

उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण हैं. समिति ने इस बात पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की कि ग्यारहवीं योजना के दौरान कॉफी बोर्ड ने अपने मूल लक्ष्य को 65,000 टन कम कर दिया और इसमें में भी संशोधित लक्ष्य से 62,100 टन की कमी रह गई.

अधिकारियों का कहना है कि पूर्वोत्तर में कॉफी के बारे में अधिक सजगता नहीं है, जिसके कारण कॉफी का उत्पादकता स्तर परंपरागत कॉफी उत्पादक क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में पर्याप्त कम (83 किग्रा/हे.) है. रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि पूर्वोत्तर में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों का विस्तार वैज्ञानिक खेती आधार पर किया जाए ताकि उच्चतर उत्पादकता प्राप्त किया जा सके.

कॉफी बोर्ड का पूर्वोत्तर में बाजार समर्थन योजना, जो केवल इस क्षेत्र के लिए है, ने कॉफी क्षेत्र की पर्याप्त सहायता की है. अधिकारी ने कहा कि ''यदि कोई बाजार समर्थन योजना नहीं रहती तो इस क्षेत्र में कॉफी क्षेत्र का कोई स्थान नहीं रहता. इस योजना ने बिना किसी कठिनाई के कॉफी उत्पादकों को अपनी उत्पाद के लिए लाभ प्राप्त करने में सहायता की है.''

इस योजना में कॉफी का प्रापण, संकलन केंद्र तक कॉफी का परिवहन, प्रारंभिक भुगतान जारी करना, सुधार, पैकिंग और भंडारण, बंगलोर को प्रेषण, नीलामी और निधि भुगतान जारी करना शामिल है.

बोर्ड उत्पादकों को 12 रु. प्रति किग्रा. परिवहन सहायिकी देता है, जिसे अगली योजना में बढ़ाए जाने की आशा है, क्योंकि लागत बढ़ गई है. सहायिकी फार्म से नजदीकी कार्यालय और तब सुधार कार्य फैक्टरी, जहां इसे संसाधित किया जाता है और तब बंगलोर में नीलामी के लिए कॉफी के परिवहन में सहायता करती है. रुपए उत्पादकों के खाते में ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं.

12वीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित पौधरोपण क्षेत्र पर कार्य दल ने कहा है कि इस सहायता को इस क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार, विपणन, जनजातीय उत्पादकों के बीच क्षमता निर्माण जैसे कार्यकलापों के लिए भी विस्तारित किया जाएगा. मिजोरम के लुंगलेई क्षेत्र में आयोजित गुणवत्ता सजगता कार्यक्रम का परिणाम अवसरंचना विकास के लिए गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के रूप में हुआ, क्योंकि पार्चमेंट कॉफी पूलिंग में उत्पादकों की प्रतिशतता में पर्याप्त सुधार हुआ है. ''पहले क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा संसाधित कॉफी अनुपयुक्त संसाधन, सुखाने और हैंडलिंग के कारण निम्न गुणवत्ता की होती थी. परिणामस्वरूप नीलामी में कॉफी को कम मूल्य मिलता था'', बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा. पूर्वोत्तर की कॉफी को भारतीय कॉफी व्यवसाय संघ द्वारा आयोजित बंगलोर नीलामी में अच्छा मूल्य मिल रहा है. अराबिका चेरी कॉफी को 162 रु. प्रति किग्रा का मूल्य प्राप्त हुआ है जबकि अराबिका पैचमेंट को 200 रु. प्रति किग्रा का मूल्य प्राप्त हुआ है. ''हमें बंगलोर नीलामी से अच्छा फीडबैक प्राप्त हुआ है और उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता अच्छी है और अच्छा मूल्य मिल रहा है'', एक अधिकारी ने कहा.

**(लेखक गुवाहाटी में फाइन आर्ट्स के शिक्षक हैं, ई-मेल kalpanagoswamik@gmail.com)**

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल.एसडब्ल्यू 1/4100/2012.14 यू. (सी.).107/2012.14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई.28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 25/27.5.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 23.05.2013



# कौशल विकास प्रवर्तन योजना

- डॉ. नूपुर कश्यप

उच्च अध्ययन को बढ़ावा देने की सरकारी नीति के कारण हम देश में कई नए खुल रहे इंजीनियरी एवं चिकित्सा कॉलेज देख सकते हैं, जिसके कारण इंजीनियर प्रशासक, डाक्टर आदि बड़ी संख्या में उपलब्ध हो रहे हैं किंतु व्यावसायिक स्तर पर, पूरे भारत में लगभग 39000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के अतिरिक्त, अध्ययन के छोटे स्तर के कौशल सुधार के संबंध में कुछ विशेष नहीं किया गया है. देश में उपलब्ध 12.8 मिलियन रोज़गार की तुलना में केवल 3.1 मिलियन व्यावसायिक प्रशिक्षण सीटें (2007 की स्थिति के अनुसार) ही उपलब्ध हैं. इस तरह भारत ने 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है. एक मिलियन व्यक्तियों को पांच वर्षों की अवधि के अंदर और उसके बाद प्रति वर्ष एक मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा या उनके वर्तमान कौशल की जांच की जाएगी और उसे प्रमाणित किया जाएगा. इस समय भारत को एक लाभ यह है कि उसके पास 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की प्रतिशतता सबसे अधिक है. इसका अर्थ यह हुआ कि यदि युवाओं पर उपयुक्त ध्यान दिया जाए, तो हम उनका लाभ ले सकते हैं. देश में उपलब्ध कुल कार्यबल में से भी 97% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में है. इसका अर्थ यह हुआ कि केवल 3% कार्यबल ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है. श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य इन व्यक्तियों का पता लगाना है और कौशल विकास प्रवर्तन योजना (एस.डी.आई.एस.) इन वंचित मजदूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक कदम है. मूल रूप से यह योजना छोटी आयु में स्कूल छोड़ने वालों, बेरोज़गार एवं पहले बाल मजदूर रह चुके व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए है.

भारत सरकार की यह स्वप्निल परियोजना है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों के कौशल का विकास करना है. यह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं औद्योगिक समुदाय का एक त्रिपक्षीय उद्यम है. यह योजना, योजना की रूप रेखा, नियम एवं विनियम, पाठ्य वृत्त तथा अध्ययन सामग्री तथा मूल्यांकन मानकों का विकास करने में राज्य सरकार, संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा शिक्षा से जुड़े कार्मिकों द्वारा किए गए व्यापक अनुसंधान तथा कार्यों का परिणाम है. राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय प्रशिक्षण परामर्श निकाय–राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) के संरक्षण में, नीति तैयार करने, मानदण्ड, मानक निर्धारित करने- ट्रेड परीक्षा संचालित करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रमाणन का नोडल निकाय है. श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली देश में एक सबसे व्यापक प्रणाली है. इस आकर्षक योजना के दो पहलू हैं–पहला- व्यक्तियों का कौशल बढ़ाने के लिए विभिन्न मॉडयूलर रोज़गार योग्य कौशल **(एम.ई.एस.)** पाठ्यक्रमों के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और दूसरा- प्रशिक्षण देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता **(वी.टी.पी.)** के रूप में संस्थाओं का पंजीकरण करना.

**एम.ई.एस. योजना** : मजदूर बल की गुणवत्ता किसी राष्ट्र की औद्योगिक तथा व्यावसायिक उत्पादकता को निर्धारित करती है, जो किसी देश के आर्थिक विकास को शासित करती है. यह विकास या तो निर्यात के रूप में हो सकता है अथवा मजदूरों द्वारा विदेश में कार्य करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए लाए जाने वाले राजस्व के रूप में बंगला देश एवं श्रीलंका द्वारा सृजित कुल जी.डी.पी. का एक बड़ा भाग विदेशों में कार्यरत उनके निवासी मजदूरों द्वारा भेजा जाता है. 'जर्मनी को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुशल युवाओं की आवश्यकता होती है.' ये शब्द जर्मन राजदूत स्टेनर के हैं. आगे उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था का रहस्य कुशल जनशक्ति है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर तथा कारपेंटर आदि शामिल हैं और उनके समाज में ये सभी सम्मानीय हैं तथा वह अपने देश में भारतीय कुशल जनशक्ति को भी आमंत्रित करता है. इससे एक तथ्य तो स्पष्ट है कि किसी देश की रोज़गार सृजन क्षमता कम होने पर भी वह बड़ी संख्या में मजदूर बल रखकर राजस्व में वृद्धि कर सकता है और यदि इस बल में युवा वर्ग हो तो यह अतिरिक्त रूप में लाभदायी होगा. इस समय भारत में युवा बल की प्रतिशतता बहुत ऊंची है. किंतु समस्या यह है कि उनमें से अधिकांश अकुशल हैं. इसके परिणामस्वरूप कुल मजदूर बाजार की तुलना में युवाओं में बेरोज़गारी की दर बहुत अधिक है. इस बेरोज़गार युवा शक्ति को उपयोग में लाने के लिए एम.ई.एस. स्थापित करने का विचार किया गया. एम.ई.एस. का अर्थ है 'मॉड्यूलर रोज़गार योग्य कौशल.' एम.ई.एस. में प्रशिक्षण साधनों से सम्पन्न प्रयोगशालाओं वाले संसाधनपूर्ण संस्थाओं में सक्षम एवं योग्य प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है और वहां किसी व्यक्ति को अपना कार्य बेहतर रूप में करने के लिए उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है. यह राष्ट्रीय मानकों पर आधारित विश्वसनीय मूल्यांकन भी सुनिश्चित करता है.

**एम.ई.एस. योजना की मुख्य विशेषताएं:**

- प्रशिक्षण की समय–अवधि को दिनों की संख्या में नहीं गिना जाता है. बल्कि यह प्रणाली प्रशिक्षण में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए घंटों की संख्या पर आधारित होती है.
- प्रशिक्षण अल्पकालीन अवधि (90 घंटों से 180 घंटों तक) के होते हैं, ताकि प्रशिक्षणार्थी यथाशीघ्र प्रशिक्षण का लाभ लेने में सक्षम हो सकें. उदाहरण के लिए, 'फिल्म निर्माण' के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मॉड्यूल 'क्लैप परसन' के साथ कार्य प्रारंभ कर सकता है, जिसके लिए प्रशिक्षण अवधि केवल 40 दिन है. इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिदिन 2 घंटे के प्रशिक्षण लेने से कोई भी व्यक्ति केवल 20 दिनों में प्रशिक्षित हो सकता है.
- मॉड्यूल की अवधि कम है, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद अपना नियमित कार्य/व्यवसाय कर सकता है.
- प्रशिक्षण सत्रों के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है अर्थात् प्रशिक्षण बैच, बैच की सुविधानुसार चलाए जा सकते हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम इतना लचीला है कि कोई भी व्यक्ति अंशकालिक, पूर्णकालिक अथवा सप्ताहांत कक्षा में उपस्थित हो सकता है.
- प्रशिक्षण का स्थान स्थल पर (ऑनसाइट) या कहीं अन्यत्र (ऑफसाइट) हो सकता है.
- प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन, संस्थान के अध्यापन संकाय से भिन्न एक अलग मूल्यांकनकर्ता निकाय द्वारा किया जाता है. ये निकाय एफ.आई.सी.सी.आई., सी.आई.आई. आदि जैसे उद्योग संगठन हो सकते हैं, जो निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण देने में शामिल नहीं होते हैं.
- योजना में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष है और कोई उच्च आयु-सीमा नहीं है.
- किसी क्षेत्र में पहले से विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए सीधे सम्पर्क कर सकते हैं. ऐसे मामले में व्यक्ति को कोई प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे केवल प्रमाणन के लिए आवेदन करना होता है.
- उद्योग एवं वाणिज्य में विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तर के कार्यक्रम (फाउंडेशन, कौशल निर्माण एवं विकास) तैयार किए जाते हैं.
- निर्धन परिवारों के व्यक्तियों के लिए एक मुख्य समस्या यह है कि उनके बच्चे बहुत छोटी आयु में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं. बाद में कभी वे यदि कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हों तो उन्हें अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में बाधा आती है. यहां तक आई.टी.आई. (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में भी प्रवेश उन छात्रों को दिया जाता है, जो आठवीं अथवा उससे उच्च कक्षा उत्तीर्ण होते हैं. एम.ई.एस. के कुछ पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम योग्यता केवल पांचवी कक्षा पूर्ण करना है.
- –प्रमाणन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) द्वारा किया जाता है. यह परिषद कार्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यताप्राप्त है.
- इस योजना की मॉड्यूलर विशेषता किसी व्यक्ति को क्षेत्र के किसी विशेष भाग में उपयुक्त कौशल प्राप्त करने में सहायता करती है. इस तरह, धीरे-धीरे, पाठ्यक्रम-दर-पाठ्यक्रम वह एक समय- अवधि के बाद वह उपयुक्त योग्यता प्राप्त कर लेता है.
- इसका यह अर्थ नहीं कि पाठ्यक्रम केवल कम पढ़े-लिखे व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं. स्नातकों के लिए भी पाठ्यक्रम हैं जैसे लिरिक राइटर (60 घंटे), डायलॉग राइटर (60 घंटे), फिल्म सबटाइटलर (100 घंटे), क्रिएटिविटी असिस्टेंट (60 घंटे) आदि.
- पाठ्यक्रम चुनने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है. उदाहरण के लिए 'फैब्रीकेशन' क्षेत्र के लिए पाठ्यक्रम रूप रेखा को स्वतंत्रता के साथ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है:- इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति तीन पाठ्यक्रमों-फेब-101, फेज-102 या फेब-103 में से किसी एक पाठ्यक्रमको ले सकता हैं, सभी पाठ्यक्रम समान चरण-1 पर है और उसके बाद वह समान चरण-1 पर पाठ्यक्रम चुन सकता है या चरण-2 पर उच्च स्तर के पाठ्यक्रम कर सकता है.

**शुल्क** : प्रवेश के समय प्रशिक्षणार्थी को, नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार वी.टी.पी. (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) को शुल्क का भुगतान करना होता है:-

1. 500/- रु. प्रति मॉड्यूल (90 घंटों तक की अवधि के मॉड्यूल के लिए).
2. रु. 1000/- प्रति मॉड्यूल (91 घंटों से लेकर 180 घंटों तक की अवधि के मॉड्यूल के लिए).
3. रु. 1500/- प्रति मॉड्यूल (181 घंटों से लेकर 270 घंटों तक की अवधि के मॉड्यूल के लिए).
4. रु. 2000/- प्रति मॉड्यूल (270 घंटों से अधिक अवधि के मॉड्यूल के लिए).

अजा/अजजा वर्गों, अशक्त व्यक्तियों और महिला उम्मीदवारों को शुल्क में 25% की छूट दी जाती है. रु. 500/- (किसी इंजीनियरी पाठ्यक्रम के लिए) और रु. 800/- (गैर-इंजीनियरी पाठ्यक्रम के लिए) का मूल्यांकन शुल्क लिया जाता है. किंतु प्रशिक्षणार्थी द्वारा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिए जाने के बाद (परीक्षा लिए जाने एवं प्रमाणित किए जाने के बाद) उम्मीदवारों को पूरी राशि वापस कर दी जाती है. अर्थात् प्रशिक्षण वास्तव में निःशुल्क दिया जाता है.

**व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वी.टी.पी.)**: वी.टी.पी. ऐसा निकाय है जो प्रशिक्षण देता है. वी.टी.पी. का पंजीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित राज्य निदेशकों को आवेदन करके, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उन क्षेत्रों/पाठ्यक्रमों के लिए किया जाता है, जिनके लिए उसके पास प्रशिक्षण आधारिक संरचना उपलब्ध है. पात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता निम्नलिखित हो सकते हैं : -

1. शैक्षिक/ प्रशिक्षण संस्थान.
2. सरकार (केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन) द्वारा स्थापित संगठन/ संस्थान.
3. कंपनियां एवं फर्म.
4. प्रशिक्षण देने में रत पंजीकृत सोसायटियों, न्यास.

**वी.टी.पी. होने के लाभ** :

1. पूरे वर्ष किसी भी समय पंजीकरण कराया जा सकता है.
2. किसी वी.टी.पी. को व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित राज्य निदेशालय में स्वयं का पंजीकरण कराने के लिए व्यापक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता. माउस क्लिक करते ही ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध है, वी.टी.पी. को तत्काल एक अस्थायी पंजीकरण संख्या आबंटित कर दी जाती है, जिसके आधार पर संबंधित वी.टी.पी. द्वारा चुने गए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है, बाद में वी.टी.पी. को मूल्यांकन बैच संख्या (ए.बी.एन.) आबंटित की जाती है.
3. वी.टी.पी. कितने भी एम.ई.एस. क्षेत्र/ पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण देने के लिए) चुन सकता है. 72 क्षेत्रों में कुल 1413 पाठ्यक्रम हैं तथा इस सूची में नए क्षेत्रों को शामिल किए जाने से इनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है.
4. यदि वी.टी.पी. एक ही या संबंधित ट्रेडों/क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रहा है तो पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए किसी नई अथवा अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है. कोई भी व्यक्ति, उसके पास पहले से विद्यमान आधारिक संरचना का उपयोग कर सकता है. उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है, तो वह 'कम्प्यूटर फंडा- मेटल्स, एम.एस. ऑफिस तथा इंटरनेट', 'कम्प्यूटर नेटवर्किंग', 'वेब डिजाइनिंग' आदि जैसे पाठ्यक्रम चुन सकता है. यदि कोई व्यक्ति ऑटो मोटिव रिपेयरिंग शॉप चला रहा हो तो ऑटोमोटिव रिपेयर क्षेत्र में लगभग अट्ठारह पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें वह चुन सकता है, जैसे 'टू व्हीलर (मोपेड) की मरम्मत एवं ओवरहालिंग', 'टू व्हीलर (मोटरसाइकिल) की मरम्मत एवं ओवरहालिंग', 'ऑटो कंडीशनिंग सिस्टम की मरम्मत' आदि. इसी तरह ब्यूटी पार्लर के मालिकों के लिए 'हेयर कलरिस्ट', 'हेयर कटिंग विशेषज्ञ', 'मेक-अप आर्टिस्ट', 'फेसियल थेरापिस्ट' आदि जैसे लगभग नौ पाठ्यक्रम हैं. कृषि से जुड़े व्यक्तियों के लिए 'आलू की खेती', 'मधुमक्खी पालन', 'सब्जियों की खेती', 'माली', 'बीज उत्पादन', 'फल एवं सब्जी परिक्षण' आदि कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जा सकता है. यहां तक कि रसोई बनाने वालों, रेस्तरां मालिकों के लिए भी पाठ्यक्रमों की एक लंबी सूची है- जैसे क्राफ्ट्समेन 'इंडियन स्नैक्स', 'बंगाली मिठाई', 'घी आधारित मिठाइयां', 'दूध एवं खोया मिठाई', 'नमकीन तथा मसालेदार सामग्री', 'भारतीय सिरप एवं ठंडाई', 'दक्षिण भारतीय भोजन', 'भारतीय चाट', 'भारतीय मिठाई', 'चाइनीज़ फूड' आदि.
5. चूंकि नई संस्थापनाओं की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए यह अत्यधिक लागत प्रभावी होता है.
6. प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए पृथक संकाय की आवश्यकता नहीं होती है. वी.टी.पी., संस्था में पहले से सेवारत स्टाफ की सेवा ले सकता है.
7. अनुदेशकों की व्यापक खोज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सेवानिवृत्त संकाय को प्रशिक्षण के लिए रखा जा सकता है.
8. वी.टी.पी. सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र या औद्योगिक संस्थापनाओं से प्रशिक्षण दे सकते हैं.
9. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वी.टी.पी. को प्रति उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रति घंटा पन्द्रह रुपए की दर से प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति करता है.
10. वर्तमान क्षेत्रों के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति किसी भी नए क्षेत्र का प्रस्ताव कर सकता है, बशर्ते कि वह क्षेत्र उपयुक्त तथा मांग न्यायोचित हो.

आजकल अधिकांश परिवारों के दोनों सदस्य अर्थात् पति-पत्नी कार्यशील होते हैं और उन्हें अपना घर घरेलू नौकर के सहारे छोड़ना पड़ता है इस स्थिति से नौकरों की मांग बहुत बढ़ गई है. प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षित बाई/घरेलू नौकर चाहता है, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है. इसी तरह परिधान क्षेत्र अत्यधिक पनप रहे उद्योगों में से एक है जो ट्रेड के व्यापक स्थान एवं रोज़गार का सृजन कर रहा है. परिधान बाजार विकासशील है, क्योंकि तैयार माल की मांग बढ़ती जा रही है. वस्त्रों की उच्च फिनिशिंग के लिए कुशल मजदूरों की बड़ी संख्या में आवश्यकता होती है. ये केवल दो उदाहरण हैं, विभिन्न क्षेत्रों में मांग अत्यधिक है. उद्योग, कंपनियों, नियोक्ता तथा प्लेसमेंट एजेंसियां प्रमाणित मजदूरों को रखना पसंद करती हैं. इसलिए या तो बी.टी.पी. के रूप में धन कमाएं अथवा एम.ई.एस. के माध्यम से अपना कौशल बढ़ाएं, इनमें हमेशा लाभ है.

सभी एम.ई.एस. पाठ्यक्रम वेबसाइट **www.dget.gov.in/mes** पर उपलब्ध हैं और बी.टी.पी. की सूची (तथा उनके द्वारा चुने गए क्षेत्र) वेबसाइट **www.sdi.gov.in** पर देखी जा सकती है.

**(लेखिका राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), रायबरेली में प्रिंसिपल है.**
**ई-मेलः nupur2008@gmail.com)**

## रोज़गार समाचार

**ईरा जोशी**
अतिरिक्त महानिदेशक
**अनुराग मिश्रा**
निदेशक
**डॉ. ममता रानी**
संपादक
**नलिनी रानी**
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)
**इरशाद अली**
संपादक (उर्दू)
**मारूफ आलम**
संपादक
**केपी मणिलाल**
लेखा अधिकारी
**सूर्यकांत शर्मा**
व्यापार व्यवस्थापक
**विनोद कुमार मीणा**
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
**पी.के. मंडल**
वरिष्ठ कलाकार

*संपादकीय कार्यालय*
**रोज़गार समाचार**
पूर्वी खण्ड IV तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

**ई-मेल : enewsedit@gmail.com**

| | |
|---|---|
| संपादकीय | : 26163055 |
| विज्ञापन | : 26104284 |
| टेलीफैक्स | : 26193012 |
| वितरण | : 26107405 |
| टैलीफैक्स | : 26175516 |
| प्रोडक्शन | : 26177529 |
| लेखा (विज्ञापन) | : 26193179 |
| लेखा (वितरण) | : 26182079 |

योजना

आगामी अंक
जून एवं जुलाई - 2013

जून
पर्यावरण एवं धारणीय पारिस्थितिकी
जुलाई
सार्वजनिक सेवा प्रसारण

डब्लयूईएन 8/ए

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए ईरा जोशी, अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी.21 व 22, सेक्टर.59, नोएडा.201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक.IV, लेवल.5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली.110066 द्वारा प्रकाशित, संपादकः डॉ. ममता रानी